



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7003/2026
CNR: RJHC020420522026 | URN: CRLMB / 12671U / 2026

Hanuman Sahay Gurjar Son of Ramchandra, Aged About 28
Years, Resident of Chainpura, P.s. Raisar, District Jaipur (Raj.)
(Accused Petitioner At Present Confined In Central Jail Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7575/2026
CNR: RJHC020450512026 | URN: CRLMB / 13793U / 2026

1. Ramkishan Meena @ Rahul @ Rohan @ Billu S/o Late
Shri Girdharilal, Aged About 25 Years, R/o Shayampura,
Thana Viratnagar, Distt. Kotputli Bahrar (Raj.) (Presently
The Accused/ Applicant Is Confined In Central Jail,
Jaipur).
2. Deepak Kumawat S/o Ramdayal Kumhar, Aged About 23
Years, R/o Kumharon Ka Mohalla, Thana Pratapgarh,
District Alwar (Raj.) (Presently The Accused/ Applicant
Is Confined In Central Jail, Jaipur).

-----Petitioners

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7576/2026
CNR: RJHC020457122026 | URN: CRLMB / 13794U / 2026

Kanaram S/o Shri Ramesh Chand, Aged About 28 Years, R/o
Behlod, P.s. Raisar, Dist. Jaipur (Rajasthan) (Petitioner Is
Currently In Judicial Custody In Central Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8510/2026
CNR: RJHC020506882026 | URN: CRLMB / 15478U / 2026

Divya D/o Saam Suryavanshi, Aged About 36 Years, R/o Sector 16, Gali Number 14, House Number 339, Karnaal Police Station 4, District Karnaal (Haryana) At Present Annu Devi Ke Kiraye Ka Makan, Dwarkapuri A Block Flat Number 03 Pratap Nagar, Police Station Pratap Nagar, Jaipur City (Raj.) (At Present Confined In Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8511/2026
CNR: RJHC020523582026 | URN: CRLMB / 15479U / 2026

Annu Devi W/o Late Bhawani Singh, Aged About 35 Years, R/o Sampatti Colony, Plot No. A-38, Rawal Ki Bandha Khatipura Road, Sodala Police Station, Sodala District Jaipur, Currently Resident of Dwarikapuri A Block, Flat No. 03, Pratapnagar, Police Station, Pratapnagar, District Jaipur (Rajasthan). (At Present Confined In Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ram Ratan Gurjar Mr. Manish Kumar Mr. Rajendra Bairwa Mr. Banwari Lal Kundariya Mr. Satyam Khandelwal Mr. Aslam S. Khan Mr. Tarak Ahuja
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, P.P. Mr. Arpit Dotasra, for complainant

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA**Order****20/08/2026**

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण हनुमान सहाय गुर्जर, रामकिशन मीणा उर्फ राहुल उर्फ रोहन उर्फ बिल्लू दीपक कुमावत, कानाराम, दिव्या व अन्नू देवी की ओर से ये जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना रायसर, जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 140(3), 115(2), 126(2), 307, 308(2), 308(4), 308(6), 318(4), 351(3) व 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किए गए हैं।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण, योग्य लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण—अभियुक्तगण ने तर्क दिए कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई गंभीर अपराध का आक्षेप नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण हनुमान सहाय गुर्जर, रामकिशन मीणा उर्फ राहुल उर्फ रोहन उर्फ बिल्लू, दीपक कुमावत, कानाराम, दिव्या व अन्नु देवी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण हनुमान सहाय गुर्जर पुत्र श्री रामचन्द्र, रामकिशन मीणा उर्फ राहुल उर्फ रोहन उर्फ बिल्लू पुत्र श्री गिरधारीलाल, दीपक कुमावत पुत्र श्री रामदयाल कुम्हार, कानाराम पुत्र श्री रमेश चंद, दिव्या पुत्री साम सूर्यवंशी व अन्नु देवी पत्नी भवानी सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत के ये प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किए जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण—अभियुक्तगण पुलिस थाना रायसर, जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास—पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J